आईदानराम बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 02/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/16

का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा राजोद के खसरा नम्बर 283/2 के बीच से समर्पण पत्र व वाद पत्र के सलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ते कि तरमीम राजस्व भू–नक्शे में दुरस्त कि जाकर, ऑन लाईन राजस्व भू–नक्शे को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम राजोद के खाता संख्या 10 कि जमाबंदी एवं तहसीलदार जायल द्वारा स्वीकृत समर्पित पत्र दिनांक 24.02.2016 कि छाया प्रति एवं इसके संलग्न नजरी नक्शा कि छाया प्रति एवं राजपैरोकार तहसीलदार कि रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम राजोद के खसरा नम्बर 283/2, में रास्ते कि तरमीम गलत जगह पर है जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रकरण हाजा धारा 136 का तहत मौजा राजोद के खसरा नम्बर 283/2 में तहसीलदार जायल द्वारा स्वीकृत समर्पित पत्र दिनांक 24.02.2016 के संलग्न नजरी नक्शानुसार व राजपैरोकार मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ते कि तरमिम खसरा नम्बर 283/2 के मध्य में ऑन लाईन राजस्व भू–नक्शे को दुरूस्त/दर्ज/शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : **आदेशः** : –

अतः वादी का वाद पत्र अधीन धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि मौजा राजोद के खसरा नम्बर 283/2 में रास्ते बाबत् समर्पित रास्ता खसरा नम्बर 1307/283 कि राजस्व भू–नक्शे (ऑन लाईन नक्शा) की तरमीम प्रार्थना पत्र व समर्पण पत्र दिनांक 24.02.2016 के संलग्न नजरी नक्शानुसार (तहसीलदार जायल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.07.2023 के अनुसार) सही व शुद्ध किया जावे। तहसीलदार जायल से प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय आदेश का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमान होकर बाद निर्णय पालना के नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
यह आदेश आज दिनांक 14/08/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)